

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना
अ धि सू च ना

संख्या

डी०एल०ए० शिवहर

/रा० पटना दिनांक-

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत हुआ है कि ग्राम हरनाही, थाना नं०-158 राजस्व थाना शिवहर, परगना बाबरा चम्पारण, अंचल- शिवहर, थाना-शिवहर, जिला-शिवहर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सर्मक पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-हरनाही, के अंतर्गत 0.01 एकड़ भूमि अपेक्षित है, जो मानक माप के कमोवेश बी०/क०/धूर है, जो 0.01 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है:-

खेसरा नं० 2008 अंश

थाना नं०-158 हरनाही का चौहददी निम्न प्रकार है।

उत्तर-खेसरा सं०-2008

दक्षिण-खेसरा सं०- 2008

पूरब-खेसरा सं०- 1981

पश्चिम-खेसरा सं०- 2005

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 (बिहार अधिनियम-2 1961 द्वारा संशोधित) की धारा 4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर के कार्यालय में देखा जा सकता है और चूंकि बिहार राज्यपाल का राय है कि कुल 0.01 एकड़ भूमि योग्य है तथा तुरंत अर्जन आवश्यक है। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (ए) अंश के उपबंध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
शिवहर।

अपर समाहर्ता
शिवहर।

समाहर्ता
शिवहर।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापक:-

/ डी०एल०एस०,

शिवहर/रा०, -1424/रा० दिनांक:- 29-05-13

प्रतिलिपि:-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को टीम अतिरिक्त प्रतियाँ सी०डी० के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को उपलब्ध उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, शिवहर की अधिसूचना की दो प्रतियाँ सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, शिवहर/अपर समाहर्ता, शिवहर/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
शिवहर।

अपर समाहर्ता
शिवहर।

समाहर्ता
शिवहर।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

सरकार के अवर सचिव,